मण्डी परिषद के संचालक मण्डल की 106वीं बैठक दिनांक 07.02.2004 का कार्यवृत्त

बैठक का स्थानः किसान मण्डी भवन,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
बैठक का समयः अपरान्ह 4.00 बजे।
उपस्थिति

1.	मा0 अध्यक्ष, मण्डी परिषद, लखनऊ।	अध्यक्ष		श्री शिवपाल सिंह यादव, अध्यक्ष
2.	कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।	सदस्य		श्री वी0के0 मित्तल, कृषि उत्पादन आयुक्त
3.	प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ	सदस्य		श्री सतीश कुमार अग्रवाल, प्रमुख सचिव, कृषि
4.	सचिव, खाद्य एवं रसद, उ0प्र0 शासन, लखनऊ	सदस्य		श्री अनिल कुमार गुप्ता, सचिव, खाद्य एवं रसद
5.	कृषि निदेशक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य		श्री राजेन्द्र सिंह, कृषि निदेशक
6.	निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य		श्री एस0ए0ए0 रिजवी, निबन्धक, सहकारी समितियाँ
7.	निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्यान भवन, लखनऊ	सदस्य	प्रतिनिधि	डा0 वी0एस0 श्रीवास्तव, शोध अधिकारी (नि)
8.	उप निदेशक (कृषि विपणन) कृषि विपणन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ	सदस्य		डा0 सुग्रीव शुक्ल, उप निदेशक (कृषि विपणन)
9.	डा0 रजनीश दुबे मण्डी निदेशक	सदस्य/ सचिव		डा0 रजनीश दुबे सदस्य/ सचिव

मद संख्या	प्रस्ताव	कार्यवाही/ निर्णय
01.	मा0 परिषद की 102वीं बैठक दि0 7.11.2003, 103वीं बैठक दि0 10.12.2003, 104वीं बैठक दि0 12.12.03 एवं 105वीं बैठक दि0 16.01.2004 ''रेजुलेशन बाई सरकुलेशन'' की	कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

	कार्यवाही की पुष्टि।	
02.	गत बैठकों (102वीं, 103वीं, 104वीं व 105वीं) की अनुपालन आख्या।	102वीं, 103वीं, 104वीं व 105वीं बैठकों की अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी। ग्रामीण सड़कों के निर्माण में हाटमिक्स अथवा पेवर के प्रयोग की सम्भावना के सम्बन्ध में गठित परिषद की तकनीकी समिति की रिपोर्ट का संज्ञान लिया गया। यह निर्देश भी दिए गए कि ग्रामीण संपर्क मार्गो की गुणवत्ता में और अधिक सुधार लाने की कार्ययोजना बनाई जाए।
03.	प्रगति आख्या।	प्रगति आख्या अवलोकित की गयी।
04.	मण्डी परिषद द्वारा रहमान खेड़ा, लखनऊ एवं सहारनपुर में स्थापित किए गये मैंगो पैक हाउस के संचालन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	मण्डी परिषद के रहमान खेड़ा, लखनऊ एवं नवीन मण्डी स्थल सहारनपुर स्थित मैगो पैक हाउस के संचालन के विषय में निर्णय लिया गया कि एक्सप्रेशन आफ इन्टरेस्ट (ई0ओ0आई0) तथा निविदाएँ आमंत्रित करके मैगो पैक हाउस के निजी क्षेत्र में संचालन का प्रयास किया जाय। अपरिहार्य परिस्थिति में ही संचालन की प्रस्तावानुसार वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। इसी के साथ आम के विपणन, उत्पादन, निर्यात तथा पैक हाउस के संचालन की संभावनाएँ तलाशने के लिए आम के उत्पादकों/ किसानों, निर्यातकों/ व्यापारियों एवं कोल्ड स्टोरेज के प्रबन्धकों के साथ पृथक–पृथक बैंठकें कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित कराई जायें। परियोजना के क्रियान्वयन में आवश्यक निर्णय लेने हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त को अधिकृत किया गया।
05.	नोएडा में प्रस्तावित आधुनिक पुष्प एवं	नोएडा में आधुनिक फल–सब्जी मण्डी के

	फल–सब्जी मण्डी को INTEGRATE करने विषयक प्रस्ताव।	साथ–साथ फूल मण्डी/ नीलामी केन्द्र के निर्माण के विषय में निर्णय लिया गया कि यूपिको द्वारा पुष्प मण्डी/ नीलामी केन्द्र की तैयार करायी गयी रिपोर्ट का तकनीकी परीक्षण कराकर उसे स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का निर्णय लिया जाय। यूपिको की रिपोर्ट अस्वीकार किये जाने की दशा में परिषद द्वारा तैयार किए गए कन्सल्टेन्ट के पैनेल से प्रतिस्पर्धा के आधार पर कन्सलटेन्ट नियुक्त कर नई प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करायी जाय। अग्रेतर कार्रवाई हेतु अध्यक्ष को अधिकृत किया गया। यह निश्चय हुआ कि नोएडा में प्रस्तावित फल सब्जी मण्डी तथा पुष्प मण्डी का निर्माण मण्डी परिषद/ मण्डी समिति के द्वारा किया जाए।
06.	आलू विपणन में श्रेणीकरण के प्रोत्साहन हेतु पोटैटो ग्रेडरों की स्थापना विषयक प्रस्ताव।	पोटेटो ग्रेडर के स्थापित किये जाने की कार्यवाही से संचालक मण्डल अवगत हुआ।
07.	मण्डी परिषद की परियोजनाओं के सन्दर्भ में परियोजना रिपोर्ट तैयार कराने हेतु कन्सलटैन्ट का पैनल सूचीबद्ध किये जाने का प्रस्ताव।	पोटेटौ फ्लैक परियोजना तथा वोदका इकाई की स्थापना के लिए कन्सलटेन्ट चयन हेतु शासन स्तर पर गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में मण्डी परिषद की परियोजनाओं की रिपोर्ट तैयार कराने हेतु निम्नलिखित कन्सलटेन्ट्स को प्रतिस्पर्धा के आधार पर कार्य लेने हेतु 31 मार्च, 2005 तक मान्य पैनल में सूची बद्ध करने का निर्णय लिया गया– 1– मै0 ग्लोबल एग्री सिस्टम प्रा0लि0, के0–13 ए0, हौजखास इन्कलेव, नई दिल्ली। 2– मै0 सुमन फूड कन्सलटेन्ट्स, बी– 168, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली–65

		3– मै0 ए0एफ0 फारगुसन कं0 हंसालय, बारा खम्भा रोड, नई दिल्ली
08.	50लाख से अधिक आय वाली उपमण्डियों को स्वतंत्र मण्डी घोषित किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	निम्नलिखित उपमण्डियों को स्वतंत्र मण्डी घोषित किये जाने की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयीः– 1– बिलसंडा (बीसलपुर) 2– कटरा (तिलहर) 3– महाराजगंज (परतावल) 4– रिच्छा (बहेड़ी) 5– बण्डा (पुवायाँ) मण्डी निदेशक के द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जाए।
09.	कानपुर महानगर में एक अतिरिक्त मण्डी स्थल की स्थापना का प्रस्ताव।	मण्डलायुक्त कानपुर के प्रस्ताव पर कानपुर में अतिरिक्त मण्डी स्थल की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी। मण्डी निदेशक के द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जाए।
10.	विकास खण्ड इस्लामनगर जनपद–बदायूँ को मण्डी क्षेत्र चन्दौसी से निकाल कर मण्डी क्षेत्र बिसौली जनपद–बदायूँ के क्षेत्र में सम्मिलित कराकर कस्बा–इस्लामनगर को मण्डी समिति बिसौली का उपमण्डी स्थल घोषित करने का प्रस्ताव।	विकास खण्ड इस्लामनगर की 26 ग्राम पंचायतें व नगर पंचायत इस्लामनगर तथा रूदायन के समस्त क्षेत्र को मण्डी समिति चंदौसी के क्षेत्राधिकार से निकालकर बिसौली मण्डी जिला बदायूँ में सम्मिलित करने एवं इस्लामनगर क्षेत्र में मण्डी समिति बिसौली के प्रस्ताव पर उप मण्डी स्थल घोषित करने के प्रस्ताव पर सहमति दी गयी। मण्डी निदेशक के द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जाए।
11.	मण्डी परिषद के कम्पयूटराइजेशन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	मण्डी परिषद तथा मण्डी समितियों में कम्प्यूटराईजेशन, नेटवर्किंग तथा साफ्टवेयर विकास कार्य प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय भी लिया गया कि उक्त कार्य को प्रोफेशनली कराये जाने के उद्देश्य से

		खुली निविदा के माध्यम से कन्सल्टिंग फर्म चयन करने की कार्यवाही की जाये। यह निर्णय भी लिया गया कि सर्वप्रथम तकनीकी निविदायें आमंत्रित की जाये और तत्पश्चात वित्तीय निविदायें उन्हीं से मांगी जाये जो तकनीकी रूप से स्वीकार योग्य पाई जाये। यह कार्य मण्डी परिषद स्तर पर किया जाये। यह भी निर्णय लिया गया संस्था स्तर पर गठित क्रय समिति में वाह्य विशेषज्ञ के रूप में आर0ई0सी0, इलाहाबाद (समकक्ष विश्वविद्यालय) व आई0आई0टी0, कानपुर के विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर साइंस विभाग तथा यू0पी0 डेस्को के प्रबन्ध निदेशक द्वारा नामित एक–एक प्रतिनिधि को सम्मिलित किया जाये।
12.	प्रदेश की मण्डियों में एग्री बिजनेस एवं सर्विस सेन्टर (कृषक सेवा केन्द्र) की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	प्रस्ताव स्वीकार किया गया। प्रदेश की चार प्रमुख मण्डियों यथा– हापुड़, पीलीभीत, उरई व इटावा में प्रथम चरण में एग्री विजनेस एवं सर्विस सेन्टर (कृषक सेवा केन्द्र) की स्थापना का निर्णय लिया गया। मण्डी निदेशक के द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जाए।
13.	इलेक्ट्ानिक वे–ब्रिजेज के संचालन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	निर्णय लिया गया कि विद्यमान वे–ब्रिजेज पर अब अतिरिक्त व्यय न किया जाए। इन मण्डियों में आवश्यकतानुसार इलेक्ट्रानिक/ कम्प्यूटराइज्ड वे–ब्रिजेज की स्थापना व संचालन हेतु निर्धारित शर्तो पर निजी क्षेत्र को निविदा के माध्यम से आमंत्रित किया जाए। पहले वे–ब्रिजेज निर्माता फर्मो को आमंत्रित किया जाए तथा संतोषजनक आफर न आने पर इन फर्मो के अधिकृत डीलर/ डिस्ट्रीब्यूटर को आमंत्रित किया जाए। यदि इसके बाद भी

		संतोषजनक आफर प्राप्त नहीं होता है तो नियमानुसार व्यापार कर विभाग द्वारा पंजीकृत एवं अनुभव प्राप्त धर्मकाँटा फर्मो को आमंत्रित किया जाए। अग्रेतर कार्रवाई हेतु अध्यक्ष को अधिकृत किया गया।
14.	उत्पादकों/ कृषकों द्वारा सीधे विपणन प्रणाली (Direct Marketing) हेतु मण्डी समिति, लखनऊ के दुबग्गा स्थित फल–सब्जी मण्डी स्थल के विस्तार के अन्तर्गत ''किसान की मण्डी'' की स्थापना पर विचार।	प्रस्ताव स्वीकार किया गया। मण्डी समिति लखनऊ में सीतापुर रोड परिसर में पूर्व में स्वीकृत "किसान की मण्डी" का स्थान परिवर्तित करते हुए दुबग्गा स्थित फल सब्जी मण्डी की विस्तार योजना में चिह्नित एक एकड़ स्थल पर प्रस्तावानुसार किसान की मण्डी स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया। निदेशक के द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जाए।
15.	दुबग्गा फल–सब्जी मण्डी विस्तार की संशोधित परियोजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	दुबग्गा फल सब्जी मण्डी विस्तार की संशोधित परियोजना के परीक्षण एवं क्रियान्वयन पर निर्णय लेने हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त को अधिकृत किया गया।
16.	शासन द्वारा सहारनपुर, मिर्जापुर, बस्ती एवं देवीपाटन मण्डल को समाप्त किए जाने के फलस्वरूप मण्डी परिषद के संभागीय कार्यालयों के पुनर्गठन एवं स्वीकृत पदों के समायोजन के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
17.	शासन की अधिसूचना संख्या–1098/का–1/2001 दिनांकः 28 नवम्बर, 2001के क्रम में मण्डी समिति अधिकारियों/कर्मचारियों की अधिवर्षिता आयु 58 वर्ष के स्थान पर	मण्डी समिति के अधिकारियों/कर्मचारियों की अधिवर्षिता आयु 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष किए जाने तथा उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयत) सेवा विनियमावली, 1984 के विनियम 46(1) में संशोधन किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

	60 वर्ष किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	से सहमत होते हुए यह निर्णय लिया गया कि तद्नुसार प्रस्ताव को शासन को संचालक मण्डल की संस्तुति के साथ प्रेषित किया जाए।
18.	मण्डी समिति की वर्तमान आय के आधार पर वर्ग/श्रेणी एवं कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयित) सेवा के सचिव संवर्ग के पुनर्गठन के सम्बन्ध में मा0परिषद के 99वीं बैठक में पारित प्रस्ताव पर पुर्नविचार।	मण्डी समिति की वर्तमान आय के आधार पर वर्ग/श्रेणी एवं कृषि उत्पादन मण्डी समिति (केन्द्रीयित) सेवा के सचिव संवर्ग के पुनर्गठन के सम्बन्ध में मा0परिषद के 99वीं बैठक में पारित प्रस्ताव पर पुनः विचार करते हुए निरस्त करने का निर्णय लिया गया।
19.	मण्डी परिषद/मण्डी समितियों में कार्यरत कतिपय कर्मचारियों को चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत किए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव।	मण्डी परिषद/मण्डी समितियों में कार्यरत कतिपय कर्मचारियों को चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत किए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति के प्रस्तावों का परिषद द्वारा अवलोकन किया गया।
20.	उत्तर प्रदेश की विनियमित मण्डियों के वर्गीकरण हेतु मण्डी शुल्क के स्लैब का पुर्ननिर्धारण।	उत्तर प्रदेश की विनियमित मण्डियों के वर्गीकरण हेतु मण्डी शुल्क के स्लैब के पुर्ननिर्धारण का मा0 परिषद द्वारा अवलोकन किया गया।
21.	वित्तीय वर्ष 2003–04 में परिषद निधि के अन्तर्गत ''मोटर वाहनों का क्रय'' मद में प्राविधानित धनराशि के अतिरिक्त व्यय के औचित्यपूर्ण प्रस्ताव का पूर्ण विवरण।	वित्तीय वर्ष 2003–04 में परिषद निधि के अन्तर्गत "मोटर वाहन का क्रय" मद में रू0 15.00 लाख का अतिरिक्त प्राविधान करते हुए कुल रू0 40.00 लाख मात्र का पुनरीक्षित प्राविधान स्वीकृत किया गया।

ह0/–
(डा0 रजनीश दुबे)
मण्डी निदेशक
सदस्य/ सचिव

ह0/–
(शिवपाल सिंह यादव)
अध्यक्ष, मण्डी परिषद,
उत्तर प्रदेश